न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

अपीलीय अधिकारी : देवेन्द्र कुमार आई०ए०एस०

अपील संख्या0 APS2012G290126314631 – 12/2026

राहुल मीना, निवासी कानी कोठी, अग्रसेन धर्मशाला के पास, मण्डावरी, तहसील लालसोट जिला दौसा

.......अपी०

बनाम

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) लालसोट

रेस्पो०

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 29.01.2026 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) लालसोट

निर्णय

दिनांक 13.03.2026

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अपना नाम कानी कोठी, लालसोट की मतदाता सूची मे जोडने संबंधी आवेदन पत्र (Ref. no.S20089O6N2101251200000) प्रस्तुत किया गया था। जिसको निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) लालसोट द्वारा नाम जोडने का आवेदन प्रारूप 6 को अस्वीकार कर दिया गया। अपीलांट द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) लालसोट के उक्त आदेश दिनाक 29.01.2026 से व्यथित होकर अपील न्यायालय में पेश की गई है।

उक्त अपील के संबंध में तथ्यों से संबंधित वस्तुस्थिति की रिपोर्ट निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) लालसोट से इस न्यायालय के पत्रांक 1616 दिनांक 12.03.2026 के द्वारा चाही गयी हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) लालसोट के पत्रांक 386 दिनांक 12.03.2026 द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट में बीएलओ द्वारा अपीलांट के आवेदन को भौतिक सत्यापन में रिजेक्ट कर दिया गया जिसके आधार पर एईआरओ व ईआओ द्वारा भी अस्वीकार किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:40:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पुनश्चः बीएलओ द्वारा अपीलांट की पहचान से संतुष्ट होने के उपरान्त दिनांक 11.02.2026 को पुनः नाम जोडने का आवेदन प्रारूप 6 ऑनलाईन किया गया। जिस पर सभी स्तरों से सत्यापित होने के उपरान्त दिनांक 10.03.2026 को ई–रोल अपडेट कर मतदाता सूची में नाम पंजीकृत कर दिया गया हैं।

उपरोक्तरिपोर्ट के विवेचन के आधार पर अपीलांट का नाम जोडने का आवेदन प्रपत्र 6 जो कि बीएलओ द्वारा सही पहचान नहीं होने के कारण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) लालसोट द्वारा अस्वीकार किया गया। चूंकि बीएलओ द्वारा अपीलांट की पहचान से संतुष्ट होने के उपरान्त अपीलांट का पुनः नाम जोडने का आवेदन प्रारूप 6 ऑनलाईन किया जाकर मतदाता सूची में नाम पंजीकृत कर दिया गया हैं। अपीलांट का नाम मतदाता सूची में पंजीकृत हो जाने के कारण अपील का कोई औचित्य नहीं रह जाता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ कार्यालय का मूल अभिलेख व निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 13.03.2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रंकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:40:01 IST
Reason: SelfAttested